



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

**वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1108**

मद/FOR ITEM: रबड़ कम्पाउंड आरए 594

**Rubber Compound RA 594**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ब्लेज़ एंटरप्राइजस, जे-42 एडिशनल इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, अंबड, नासिक - 422 010, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "रशियन ग्रेड 3853 के बदले रबड़ कम्पाउंड आरए 594" को मिग वायुयान के कम्पोनेन्ट्स के फैब्रिकेशन में प्रयोग हेतु, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(नासिक) के समन्वय से विनिर्देश/टाइप टेस्ट शेड्यूल सं. "टीयू38-005-1166-73" के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्गरिकार्ड कम्प्लायंस स्टेटमेन्ट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Rubber Compound RA 594" against Russian Grade 3853 developed & manufactured by M/s. "Blaze Enterprises, J-42 Additional Industrial Area, MIDC, Ambad, Nasik-422 010", is hereby approved for production for use of fabrication of MIG a/c components, It has been tested as per specification /Type test schedule "TU38-005-1166-73" in coordination with RCMA (Nasik). It has met the requirements as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix - "A "*

FLAG  
A  
B  
C  
D



2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2009 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(नासिक) ओझर टाउनशिप-422 007 से अनुरोध करना होगा ।

*This Type Approval is valid up to 31<sup>st</sup> Dec 2009 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA(Nasik), Ojhar Township-422 007, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.*

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1108

दिनांक/Date : 28<sup>th</sup> जनवरी 2005

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

5/1/05  
28/1/05  
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

11/01  
11/1/05